उनवानः— मदन बनाम रंगलाल

0 –21/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 14.05.2024

10 21/2024

पीठारीन अधिकारीः— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मदन पुत्र फूलू जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
2. सुगरबाई पुत्री फूलू पत्नि भूरसिंह जाटव निवासी आखावाडा हालवासी कोटरी तहसील हिण्डौन जिला करौली।
3. शुक्ला पुत्री फूलू पत्नि हरि जाटव निवासी आखावाडा हालवासी मोहचा तहसील बजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।
4. सुरेश पुत्र रामस्वरूप जाटव
5. महेश पुत्र रामस्वरूप जाटव
6. गुरूचरण पुत्र रामस्वरूप जाटव
7. जलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाटव
8. विक्रम पुत्र रामस्वरूप जाटव
   निवासीयान आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
9. सोमा पुत्री रामस्वरूप पत्नि सियाराम जाटव निवासी आखावाडा हाल निवासी आगिर्री तहसील करौली जिला करौलीं
10. रूपबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नि हरि जाटव निवासी आखावाडा हाल निवासी आगिर्री तहसील करौली जिला करौलीं
11. निरी पुत्री रामस्वरूप पत्नि ओमी जाटव निवासी आखावाडा हाल निवासी आगिर्री तहसील करौली जिला करौली
12. राममहेशी पुत्री रामस्वरूप पत्नि सीताराम जाटव निवासी आखावाडा हालवासी माचडी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
13. रामबाबू पुत्र रामफल जाटव
14. बबलू पुत्र रामफल जाटव
    निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
15. रमेशी पुत्री रामफल पतिन पतन जाटव निवासी आखावाडा हालवासी चंदीला तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली।
16. पुष्पा पुत्री रामफल पतिन रामोतार जाटव निवासी आखावाडा हालवासी चंदीला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
17. बृजमोहन पुत्र मूलचंद जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम।
18. सोनदेई पुत्री मूलचंद पत्नि महादेवा जाटव निवासी आखावाडा हालवासी सिकन्दरपुर फाजिलावाद तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
19. माया पत्नि मूलचंद पत्नि मोती जाटव निवासी आखावाडा हालवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
20. प्रेमपती पुत्री मूलचंद पत्नि बिजेन्द्र जाटव निवासी आखावाडा हालवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
21. रूकमणी पुत्री मूलचंद पत्नि राजेश जाटव निवासी आखावाडा हालवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
22. रामदेई पुत्री मूलचन्द पत्नि राजेश जाटव निवासी आखावाडा हालवासी मनपुर तहसील सूरौठ जिला करौली।
23. प्रकाश पुत्र झण्डे जाटव
24. अशोक पुत्र झण्डे जाटव
    निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

25. सुगनबाई पुत्री सामन्ता पत्नि रामचरण जाटव निवासी आखावाडा हालवासी मोहचा तहसील बजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।
26. सुफेदी पुत्री सामन्ता पत्नि प्रकाश जाटव निवासी आखावाडा हालवासी आगिर्री तहसील करौली जिला करौली।
27. हरकेश पुत्र नत्थी जाटव
28. मोनू पुत्र नत्थी जाटव
29. आकाश पुत्र नत्थी जाटव
30. माया पत्नि नत्थी जाटव

निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

31. पिंकी पुत्री नत्थी जाटव पत्नि रामबाबू जाटव निवासी आखावाडा हालवासी घोंसला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
32. हेमा पुत्री नत्थी पत्नि शिवराज जाटव निवासी आखावाडा हालवासी घोसला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

1. रंगलाल पुत्र कंचन मीना
2. शिवराम पुत्र परसादी मीना
3. उदयचंद पुत्र परसादी मीना
4. धनसिंह पुत्र सुआलाल मीना
5. कुलदीप पुत्र सुआलाल मीना
6. सतीश पुत्र शिवराम मीना
7. उमेश पुत्र शिवराम मीना
8. मनीराम पुत्र उदयचंद मीना
9. सुनील पुत्र उदयचंद मीना
10. मोनू पुत्र उदयचंद मीना
11. धनफूल पुत्र मूलचंद जाटव

निवासीयान आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

12. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट सायलान
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट गैरसायलान 1 ता 10

निर्णय दिनांक 08.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 4594/0.31, 4594/5191/0.10, 4595/0.17, 4598/0.15, /0.14, 4600/0.08, कुल किता 6 कुल रकवा 0.95 हे0 मे सायल न0 [illegible] प्रत्येक का 8–1/18 हिस्सा, सायल न0 4 ता 12 प्रत्येक 1/54–1/54 हिस्सा, [illegible] 16 का 1/24–1/24 हिस्सा, सायल न0 17 ता 22 [illegible] प्रत्येक का 2–1/42 हिस्सा, सायल न0 23 ता 24 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा, सायल न0 25 व 26 का 1/18–1/18 हिस्सा सायल न0 27 ता 32 प्रत्येक का 1/108–1[illegible]08 हिस्सा है। आराजीयात साबिक ख0न0 2601 रकवा 3 बीधा 15 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड [illegible] सहायक कलक्टर
[illegible] गंगापुर सिटी

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये श्रन किया कि कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 2601 रकवा 3 बीघा 15 स्वा से बना है, जिससे सायलान का किसी प्रकार से कोई संवध नही है। नाही सायलान की जेकाश्त की आराजी रही है और नाही आज है उक्त आराजी गैरसायलान न0 1 ता 10 के जेकाश्त की आरजी है प्रार्थना पत्र मे सजरा जिस प्रकार तहरीर किया गया है। स्वीकार नही है। यलान का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त नही है बल्कि गैरसायल न0 1 ता 10 काबिज एवं ब्रील है। उक्त आराजी साबिक ख0न0 2601 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा को सायलान के बुजर्गान च्या पुत्र कल्याण, फूलू पुत्र पांच्या ने 4800/– मे बेचान कर कब्जा गैरसायलान 1 ता 10 के र्ग कंचन, परसादी को करा दिया जो कि 5/– के स्टाम्प पेपर पर लिख दीना उक्त आराजी पर ोद के दिन यानि सन 1954 से गैरसायलान 1 ता 10 के बुजुर्गान काबिज थे तथा उनके मरने के : गैरसायलान न0 1 ता 10 काबिज एवं दखील है एवं काश्त कर रहे है। सायलान का आज दिन 5 किसी भी खसरा नम्बरान पर कब्जा नही रहा है जब सायलान का बुजुर्गान के समय से कब्जा ी है तो सायलान एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा खातेदारी कराने के हकदार नही है, इस ा पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई धाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया ा। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम पहाडी की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे आराजी ख0न0 4594/0.31, 4594/5191/0.10, 4595/0.17, 4598/0.15, 4599/0.14, 4600/0.08, कुल किता 6 कुल रकवा 0.95 है0 मे पांच्या पुत्र कल्याण जाति मीना सा.देह. आखावाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है मिलान क्षेत्रफल अनुसार वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 2601 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा से बने है। ग्राम पहाडी की जमाबन्दी सम्वत 2035–38 मे साबिक ख0न0 2601 मे पांच्या पुत्र कल्याण जाति चमार निवासी आखावाडा के नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी सम्वत 2039–42 मे साबिक ख0न0 2601 मे पांच्या पुत्र कल्याण जाति मीना निवासी आखावाडा दर्ज रिकार्ड है इसी अनुसार सम्वत 2043–62 मे पांच्या पुत्र कल्याण जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। सायलान वकील द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा गिरदावरी किता 7 मे पांच्या पुत्र कल्याण जाति चमार द्वारा फसल काश्त करना साबित है। गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 अनुसार वर्णित आराजीयात मे सायलान द्वारा झोपडी बनाकर अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया है। जो कि दिनांक 17.05.2024 को सायलान द्वारा बनाई गई है। इन लोगो द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सायलान द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बाद मे झोपडियो का निर्माण करना प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति के पक्ष मे साबित नही होने से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही ो खारिज जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक .2024 से ो स्थिति बहाल की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
... सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested